ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 के क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act. No. 3 of 1997)

क़ादर नवाज़ ख़ान

Kadar Nawaz Khan

वित्त अधिकारी

Finance Officer

टेलीफैक्स/Telefax : +91 7152 230906

ईमेल/Email: fo.mgahv@gmail.com

F.No.:002/MEDICAL ORDER FILE/2017-18/202

Date: 01/12/2017

कार्यालयादेश

चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमावली के अनुमोदन के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना में चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं -:

1. कर्मचारी द्वारा चिकित्सक को भुगतान किए गए परामर्श शुल्क की नगद प्राप्ति की रसीद प्राप्त की जानी चाहिए । इस प्रकार के शुल्क का परामर्श पर्चे या प्रमाण-पत्र पर उल्लेख होना प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकार्य नहीं होगा ।
2. एलोपेथिक/आयुर्वेदिक/होमियोपेथिक दवाईयाँ केवल अधिकृत कैमिस्ट से ही क्रय की जानी चाहिए। आवास स्थिति में चिकित्सक द्वारा स्वंय के पास से दी गई दवाईयों/इंजेक्शन का नाम, बैच संख्या एवं दवाई की कीमत का चिकित्सक के लेटर हेड पर उल्लेख होना चाहिए। होमियोपेथिक/आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा दी गई दवाईयाँ जिसमें कि बैच संख्या उपलब्ध नहीं है, पुडिया में या हस्तनिर्मित पैकेट में दी गई हो, तो नियमानुसार प्रतिपूर्ति योग्य नहीं है ।
3. सामान्य स्वास्थ्य वर्धक टॉनिक्स, विटामिन्स और सौंदर्य प्रकृति की दवाईयाँ नियमानुसार प्रतिपूर्ति योग्य नहीं हैं । इस प्रकार की दवाईयों की अधिसूचित और प्रकाशित सूची चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमावली में देखी जा सकती है ।
4. चिकित्सा बिल उपचार समाप्ति की तिथि से 90 दिनों के अंदर प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने चाहिए । यद्यपि अपरिहार्य परिस्थितियों में देरी से प्रस्तुत किए गए बिल CS (MS) नियमों के अनुसार विचाराधीन होंगे एवं 180 दिनों के बाद प्रस्तुत किए गए बिल किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होंगे ।
5. डायबिटीज, आर्थराइटिस, रक्तचाप, हाइपरटेंशन इत्यादि बीमारियों के इलाज के लिए एक परामर्श के अंतर्गत अधिकतम 3 माह की दवाईयाँ संबंधित चिकित्सक द्वारा निर्धारित की जा

सकती हैं । इलाज/दवाईयों को जारी रखने की स्थिति में कर्मचारी को तीन माह बाद मरीज के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी और दवाईयाँ/इलाज को जारी रखने के संबंध में संबंधित चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र या नया पर्चा प्रस्तुत करना होगा ।

6. विश्वविद्यालय द्वारा कभी भी कपटपूर्ण दावों की जाँच हेतु प्रयोग की गई दवाईयों/बोटल के पर्चे प्रस्तुत करने हेतु कहा जा सकता है । अतः ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को महंगी दवाईयों के पर्चे उनके चिकित्सा दावों के निपटान तक संभालने की आवश्यकता होगी ।
7. चिकित्सा परामर्श पर्ची की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा।
8. प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत दावे विधिवत हस्तांतरित, भरे हुए एवं उचित माध्यम से प्राप्त होने पर ही स्वीकार किए जाएंगे ।
9. डॉक्टर द्वारा लिखी गयी जाँच की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।
10. दि. 01/01/2018 के बाद प्रपत्र A तथा B पर जिस अस्पताल/चिकित्सक से इलाज किया गया है नियमानुसार उसी चिकित्सक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार जारी किया जाता है।

क़ादर नवाज़
(वित्ताधिकारी)
07/12/17

प्रतिलिपि,

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. वित्तविभाग
5. लीला विभाग (वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)
6. कार्यालय प्रति